लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 474

जिसका उत्तर बुधवार, 23 जुलाई, 2025 को दिया जाएगा

अनुचित व्यापार प्रथाएं

474. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार खुदरा विक्रेताओं द्वारा कैरी बैग के लिए खरीदारों से पैसे मांगने को किस प्रकार उचित ठहराती है और क्या यह खुदरा विक्रेताओं द्वारा अनुचित व्यापार प्रथा और सेवा में कमी के समान नहीं है;

(ख) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में निर्णय दिया है कि कैरी बैग के लिए पैसे लेना अनुचित व्यापार प्रथा के समान हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा खुदरा विक्रेताओं को नि:शुल्क कैरी बैग देने के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (घ) उपभोक्ता मामले विभाग प्रगतिशील कानून बनाकर उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहा है। वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकियों, ई-कॉमर्स बाजारों आदि के नए युग में उपभोक्ता संरक्षण को नियंत्रित करने वाले ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त कर दिया गया और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया।

नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की मुख्य विशेषताएं हैं: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना; उपभोक्ता आयोगों में न्याय निर्णय प्रक्रिया का सरलीकरण जैसे कि उपभोक्ता आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाना, लेन-देन के स्थान पर ध्यान दिए बिना उपभोक्ता के कार्य/निवास के स्थान पर क्षेत्राधिकार रखने वाले उपभोक्ता आयोग से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, सुनवाई के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग, यदि शिकायत दर्ज करने के 21 दिनों के भीतर स्वीकार्यता तय नहीं होती है तो शिकायतों की स्वत: स्वीकार्यता; उत्पाद दायित्व का प्रावधान; मिलावटी उत्पादों/नकली वस्तुओं के निर्माण/बिक्री के लिए दंड का प्रावधान; ई-कॉमर्स और प्रत्यक्ष बिक्री में अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम के लिए नियम बनाने का प्रावधान।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (47) "अनुचित व्यापार प्रथा" को एक व्यापार प्रथा के रूप में परिभाषित करती है, जो किसी भी सामान की बिक्री, उपयोग या आपूर्ति को बढ़ावा देने या किसी भी सेवा के प्रावधान के उद्देश्य से, किसी भी अनुचित तरीके या अनुचित या भ्रामक प्रथा को अपनाता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो एक कार्यकारी एजेंसी है, 24.07.2020 को अस्तित्व में आया। इसे हस्तक्षेप करने, अनुचित व्यापार प्रथाओं से होने वाले उपभोक्ता नुकसान को रोकने और क्लास एक्शन शुरू करने के लिए बनाया गया है, जिसमें उत्पादों को वापस मंगाना, वापस करना और रिफंड शामिल है। इसका मुख्य कार्य जनता के हित के लिए हानिकारक झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकना और विनियमित करना है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने संशोधन याचिका संख्या 2019 का 1715 और 2020 का 774 में दिनांक 27.11.2024 के अपने आदेश के माध्यम से फैसला सुनाया कि कैरी बैग के लिए पैसे लेना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार के समान है।

*****